न्यायालय जिला कलक्टर , फलोदी

पीठासीन अधिकारीः– श्री हरजी लाल अटल (आई.ए.एस.)

राजस्व अपील सं. :– 07 / 2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टसगण
इलियास पुत्र अलाबचाया, जाति मुसलमान, निवासी मस्जिद की ढाणी, जोड, तहसील फलौदी, जिला फलौदी		1. इलमदीन पुत्र हलीम खान, जाति मुसलमान, निवासी सिपाही मुसलमान, निवासी जोड, तहसील बाप, जिला फलौदी 2. नायब तहसीलदार फलौदी

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बनाराजगी आदेश नायब तहसीलदार, फलौदी नामान्तकरण संख्या 15 / 145</u>

अपीलाण्ट् की ओर से– अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा।

रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01 की ओर से – अधिवक्ता श्री जमालदीन ।

रेस्पाडेण्टस संख्या 02 की ओर सेः– स्वयं उपस्थित।

दिनांकः– 29/11/24

निर्णय

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत आदेश नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत ग्राम मलार के नामान्तरकरण संख्या 15 / 145 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की है।

2. अपीलांटगण की अपील का संक्षिप्त सांराश इस प्रकार है अपीलाधीन भूमि ग्राम मलार के खसरा नम्बर 148 की है, उक्त भूमि नए राजस्व ग्राम हाजी नगर में आई हुई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण भरते वक्त भूमि आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 14.09.1971 के निर्णय की पालना में नामान्तरकरण स्वीकृत हेतु पेश हुआ, परन्तु उक्त दिनांक को कोई आवंटन कमेटी की ना तो मीटिंग हुई और ना ही किसी तरह का कोई आवंटन आदेश ही जारी किया गया, अपीलाधीन नामान्तरकरण हल्का पटवारी ने बिना किसी आदेश के पेश किया है। जिसे रेस्पोडेन्टस संख्या 01 से मिलावट कर नायब तहसीलदार फलौदी ने पारित किया, जो विधि विरूद्व पारित किया गया है। इसलिए अपील आपके क्षेत्राधिकार में होने से यह अपीलांट ने अपील की मियाद के अंदर क्षेत्राधिकार की होने के कारण न्यायालय में पेश की है।

जिला कलक्टर
फलौदी

3. पत्रावली जरिये अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा के द्वारा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत पेश की गई। जिसे जांच उपरान्त दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये। डाक रसीदे अपीलांट अधिवक्ता द्वारा न्यायालय हाजा में पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री जमालदीन ने वकालातनामा पेश किया। तहसीलदार फलोदी से मूल रेकर्ड तलब किया गया, जो प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस में रखा गया।

4. अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। अपीलांट ने जरिए प्रार्थना पत्र बताया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी तहसीलदार फलौदी से आवंटन आदेश की प्रति में आवंटन की नकल नहीं मिलने पर हल्का पटवारी से सम्पर्क कर जानकारी चाही, तब हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 15/145 की नकल जारी करने पर हुई। आलौच्य नामान्तरकरण जानकारी होते ही अपील अन्दर मियाद मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है।

5. अधिवक्ता अपीलांटगण ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम मलार के उक्त खेत खसरा नंबर 148 में ईलमदीन पुत्र हलीम खान निवासी जोड के नाम से आवंटन कमेटी 14.07. 1971 भूमि आवंटन पत्रावली व आदेश की प्रमाणित प्रति चाही, जिस पर तहसीलदार फलौदी ने जरिये लिखित पत्र क्रमांक राजस्व/2021/1533 दिनांक 02.08.2021 को सूचना दी कि उक्त आवंटन सम्बधी रेकर्ड को तलाशा गया, जो प्राप्त नहीं हुआ, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती, आवंटन कमेटी की कोई मिटिंग होना, राजस्व न्यायालय में रेकर्ड संधारित रहना, बिना मीटिंग के रेकर्ड होने की कोई सम्भावना नहीं है। नामान्तरकरण विधि विरूद्व पारित किया है। राजकीय भूमि का आवंटन कमेटी व धारा 15 के तहत ही खातेदारी दी जा सकती है। आवंटन कमेटी से कोई आवंटन नही हुआ है और ना ही नायबतहसीलदार को खातेदारी देने का अधिकारी है, इसलिए नामान्तरकरण खारिज किया जावे।

6. अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने राजनैतिक द्वेष के कारण सरासर झूठी अपील पेश की है। पूर्व ग्राम मलार के खसरा संख्या 148 में रेस्पोडेन्टस इलमदीन की कदीमी कब्जा काश्त भूमि है जो वक्त सेटलमेन्ट के पूर्व से रेस्पोडेन्टस काश्त करता आ रहा है। उक्त भूमि पर तारबंदी की हुई है और ढाणीया बनाई हुई है। जिसमें पूरा परिवार निवास कर रहा है। रेस्पोडेन्टस का खसरा संख्या 148 में वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व से कदीमी कब्जा होने से दिनांक 14.09.1971 में आवंटन आवंटन कमेटी ने रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के नाम आवंटन कर दिया तथा आवंटन के अनुसार रेस्पोडेन्टस संख्या 01 के नाम 15/145 नामान्तरकरण भरा गया। जिसके अनुसार खसरा संख्या 148/2 रकबा 25 बीघा भूमि का नामान्तरकरण भरा जाकर विधि अनुसार नायब तहसीलदार फलौदी द्वारा स्वीकृत किया गया। नामान्तरकरण का भरे हुए लगभग 51 वर्ष हो गये, इसलिए अपील मियाद बाहर है। इसलिए अपील खारिज की जावें।

जिला कलक्टर
फलौदी

7. हमने अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल रेकर्ड एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन एवं बहस पर मनन पश्चात् यह प्रकट होता है कि प्रकरण में नामान्तरकरण संख्या 15/145 खसरा संख्या 148 ग्राम मलार तहसील फलौदी की खालसा भूमि में से भूमि आवंटन होने के आधार पर दर्ज किया जाकर दिनांक 05.02. 1972 को नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है। अपीलांट की अपील का आधार यह है कि उसके द्वारा उक्त आवंटन के संबध में तहसीलदार फलौदी कार्यालय से भूमि आवंटन पत्रावली एवं दस्तावेजात प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किए गये आवेदन पर उक्त रिकार्ड प्राप्त नहीं होने के कारण नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की गई। धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अपीलांट द्वारा उक्त सूचना प्राप्ति के आवेदन से प्राप्त सूचना को आधार बनाते हुए जानकारी होना बताया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत

पत्र के अनुसार तहसीलदार कार्यालय फलौदी द्वारा सूचना दिनांक 02.08.2021 को अधिवक्ता श्री प्रवीण मदेरणा को दी गई है। जबकि अपील इलियास द्वारा दिनांक 14.09. 2021 को प्रस्तुत की गई है। राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 78 के अनुसार तहसीलदार के विरूद्ध अपील की परिसीमा 30 दिवस निर्धारित की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत सूचना पत्र से भी यह प्रकट होता है कि सूचना प्राप्त के होने के 30 दिवस के पश्चात पेश की गई है एवं 30 दिवस के पश्चात देरी से पेश करने का कारण स्पष्ट नहीं है।

8. यह भी स्पष्ट नहीं है कि उक्त सूचना के आधार पर अपीलांट को विवादित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 05.02.1972 को जानकारी किस प्रकार हुई। जबकि उक्त पत्र के अंकन अनुसार सूचना आवेदन में नामान्तरकरण की प्रति मांगी भी नहीं गई थी। इस प्रकार धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अस्वीकार करते हुए अपील अग्राहीय मानते हुए निस्तारित की जाती है।

9. जहां तक प्रकरण में भूमि आवंटन होने या नहीं होने या बनावटी आदेश के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किए जाने का प्रश्न है, इस सम्बध में में न्यायालय यह न्यायसंगत एवं उचित मानता है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं के स्तर पर उक्त आवंटन की सत्यता के संबध में स्वयं के कार्यालय के अभिलेख एवं उपखंड कार्यालय के अभिलेख से गहन जांच करे। उक्त जांच कार्य 02 माह की अवधि में किया जाना सुनिश्चित किया जावे एवं जांच के उपरान्त उक्त आवंटन बनावटी/फर्जी या विधि विरूद्व पाया जावे तो भू—राजस्व अधिनियम के नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही हेतु प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक ...29/11/2024.... सरेइजलास सुनाया गया।

हरजी लाल अटल
(आई.ए.एस.)
जिला कलक्टर, फलोदी